



## अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

Corporate Identification Number (CIN)-U40109RJ2000SGC016482

विद्युत भवन, पंचशील नगर पॉवर हाउस, माकडवाली रोड अजमेर

Fax/Ph No.-0145-2644543/2644552 E-mail:-seplanajmeravnvl@gmail.com

क्र. अविविनिलि/अधी.अभि.(यो)/अधि.अभि.(योजना)/सहा.अभि. (आर.ई.)/अज/ फा. आर.ई. /2017-18/प्रे. 46

दि 05/4/2017

### आदेश

विषय - दिनांक 01.01.2010 एवं इसके बाद कृषि कनेक्शन पत्रावलियों के मांग पत्र की राशि जमा न कराने के कारण निरस्त होने पर एक और अवसर दिये जाने के सम्बन्ध में ।

निगम से जारी आदेश आर.ई.अज-255 दिनांक 20.2.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01.01.2010 एवं इसके बाद जिन कृषि कनेक्शन पत्रावलियों के मांग पत्र जमा नहीं करवाने के कारण निरस्त हो गई है । उन निरस्त कृषि कनेक्शन पत्रावलियों को पुर्नजीवित करने हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं :-

- 1 आवेदक जिनकी कृषि कनेक्शन पत्रावलियां मांग पत्र की राशि जमा न करवाने के कारण निरस्त हो गई है, उन्हें निगम द्वारा पुर्नजीवित करने के लिए रुपये 500/- जमा कराने हेतु दिनांक 1.3.2017 से 30.4.2017 तक रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा ।
- 2 मांग पत्र की राशि 01.05.2017 से 30.06.2017 तक जमा करानी होगी अन्यथा पत्रावली बिना किसी सूचना के रद्द मानी जावेगी ।
- 3 इन पुर्नजीवित कृषि कनेक्शन पत्रावलियां की प्राथमिकता मांग पत्र की राशि जमा होने की तिथि से निर्धारित की जावेगी ।


जिन प्रकरणों में कृषि कनेक्शन आवेदकों द्वारा मांग पत्र की राशि जमा करवा दी गई थी, परन्तु मांग पत्र जमा करवाने के पश्चात् कृषि कनेक्शन पत्रावली एल फार्म जमा नहीं करवाने अथवा अन्य किसी कारण से निरस्त कर दी गई तथा जिनकी राशि अभी तक सम्बन्धित विद्युत वितरण निगमों में जमा है, उन आवेदकों की कृषि कनेक्शन पत्रावलियों को पुर्नजीवित करने का एक अवसर और दिनांक 30.06.2017 तक दिया जाता है ।

SE (IT), AVVN, AJMER
R. R. No. 42 04-04-17
SECTION.....

(ई. एन.एल. सालवी)  
 अति. मुख्य अभियन्ता ( मुख्यालय )  
 अविविनिलि, अजमेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
- 2 सलाहकार (मानिट्रिंग), माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 अध्यक्ष डिस्कॉम्स जयपुर।
- 4 प्रबंध निदेशक, जयपुर / जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर/जोधपुर।
- 5 अति./मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय/एम.एम. /ट्रेनिंग एव सुरक्षा-सीएसएस/पवस) अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर/उदयपुर/झुंझुनू
- 6 मुख्य लेखाधिकारी (ईटीबी/ए. एण्ड आर./ आई.ए.-डब्ल्यू. एण्ड एम.), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
- 7 सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 8 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 9 अधीक्षण अभियन्ता (एम.एम./टी.डब्ल्यू/एम.एण्ड.पी/वाणिज्य/डी.डी.यू.जी.जे.वाय./सर्तकता), अविनि.लि. अजमेर।
- 10 अधीक्षण अभियन्ता (आई टी), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर, निगम वेबपोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
- 11 अधीक्षण अभियन्ता (पवस)/ ए.सी.सी./ए.डी.सी./भीलवाडा/नागौर/झुंझुनू/सीकर/बांसवाडा/डूंगरपुर/चित्तौडगढ /प्रतापगढ/राजसमन्द/उदयपुर।
- 12 कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 13 प्राथमिक सहायक-माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, ऊर्जा विभाग, जयपुर।
- 14 प्राथमिक-सहायक, प्रबन्ध निदेशक अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
- 15 प्राथमिक-सहायक, निदेशक (तकनीकी), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
- 16 अधिशाषी अभियन्ता (ग्रिन्सेज/लीगल), अविनि.लि., अजमेर
- 17 अधिशाषी अभियन्ता (.....) अविनि.लि.,.....
- 18 सहायक निदेशक (जनसम्पर्क), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर, समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु।
- 19 सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 20 निजी सचिव, निदेशक (वित्त), अविनि.लि., अजमेर

  
5/4/2017  
अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)  
अविनि.लि., अजमेर

